झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–06 / 2020

श्लोक मिश्रा उर्फ सोनू .... आवेदक

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता की ओर से : श्री डी0के0 चक्रवर्ती, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री सूरज मोहन, ए0पी0पी0।

02 / 10.01.2020 श्री डी0के0 चक्रवर्ती, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री सूरज मोहन, राज्य के लिए विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता बी0एस0 सिटी थाना काण्ड संख्या–72 वर्ष 2019 के संबंध में एक अभियुक्त है।

जब सूचक बस से यात्रा कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने उसे चाय की पेशकश की और चाय का सेवन करने के बाद वह बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने अपनी सोने की चेन और पर्स गायब पाया।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता की पहचान टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में की गई थी और वह समान प्रकृति के बी0एस0 सिटी थाना काण्ड संख्या 221 वर्ष 2019 में भी एक आरोपी है।

आरोपों की प्रकृति के बावजूद, मैं याचिकाकर्त्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। उसी को खारिज कर दिया गया है।

ह0

(आर मुखोपाध्याय, न्याया0)